पंचदश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-01 शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

[समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.18 बजे पूर्वा०]

[1] माननीय अध्यक्ष का प्रारम्भिक सम्बोधन :-

यथा संलग्न ।

[2] अध्यासी सदस्यों का मनोनयन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने पंचदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र के लिए निम्नलिखित सभासदों को अध्यासी सदस्य मनोनीत किया है :-

(i) श्री हरिनारायण सिंह - स०वि०स०

(ii) श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी - स०वि०स०

(iii) श्री चन्द्रमोहन राय - स०वि०स०

(iv) श्रीमती गुड्डी देवी - स०वि०स०

[3] कार्यमंत्रणा समिति का गठन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने पंचदश बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र के लिए निम्न प्रकार कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है :-

(i)	अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
(ii)	श्री जीतन राम मांझी, सदन नेता	सदस्य
(iii)	श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष	सदस्य
(iv)	श्री श्रवण कुमार, मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
(v)	श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री	सदस्य

(vi) श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री — सदस्य

(vii) श्री नंद किशोर यादव, नेता विरोधी दल — सदस्य

(viii) श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० — सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

(i) श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स०

(ii) श्री चन्द्रमोहन राय, स०वि०स०

(iii) श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स०

नियमानुसार अध्यक्ष, इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

''आसन से घोषणा की गई कि सदन के स्थगित होने के तुरत बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक उनके कार्यालय कक्ष में होगी ।''

[4] **सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर कागजात का रखा जाना :-**

(1) **अनुमत विधेयकों का सभा पटल पर रखा जाना :-**

सभा सचिव द्वारा विधान मंडल द्वारा यथापारित तथा महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखी गई :-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
(क)	महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण	
(i)	बंगाल, आगरा एवं असम, व्यवहार न्यायालय (बिहार संशोधन) विधेयक 2013	25.07.2014
(ख)	महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण	
(i)	बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक 2014	23.07.2014
(ii)	बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2014	04.08.2014
(iii)	बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014	13.08.2014
(iv)	बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) विधेयक 2014	13.08.2014
(v)	बिहार तकनीकि कर्मचारी चयन आयोग विधेयक 2014	14.08.2014
(vi)	बिहार वित्त विधेयक 2014	12.04.2014

(2) बिहार विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986 के नियम 8(2) के तहत प्रतिवेदित करना है कि अध्यक्ष बिहार विधान सभा द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह क्षेत्र संख्या-179 (बाढ़), श्री राहुल कुमार क्षेत्र संख्या-217 (घोषी), श्री नीरज कुमार सिंह क्षेत्र संख्या-45 (छातापुर) एवं श्री रविन्द्र राय क्षेत्र संख्या-126 (महुआ) को भारत का संविधान के अनुच्छेद 191(2) एवं उसकी दसवीं अनुसूची के पारा 2(1)(क) तथा बिहार विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के अधार पर निरर्हता) नियम 1986 के अधीन निरर्हित घोषित किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद 190(3)(क) के तहत दिनांक 01.11.2014 के प्रभाव से बिहार विधान सभा में उक्त चार स्थान रिक्त हो गए हैं । साथ ही उक्त निरर्हित सदस्यों को पंचदश बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य के रूप में कोई सुविधा देय नहीं होगी ।

[5] <u>शोक प्रकाश</u> :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित जननायकों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिरशांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की :-

(i) श्री विश्वेश्वर खाँ
(ii) श्री रीक्षण राम
(iii) श्री बम भोला यादव
(iv) श्री पी०एन० वर्मा
(v) श्री फैयाजुल आजम
(vi) श्री संत प्रसाद सिंह
(vii) श्री डा० विजय कुमार सिंह
(viii) श्री इन्द्र कुमार
(ix) पाकिस्तान के पेशावर में स्कूली बच्चों की नृशंस हत्या ।

तदुपरांत सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट का मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना संबंधित शोकाकुल परिवारों के पास भेज दिये जाए ।

तदुपरांत सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक 19 दिसम्बर, 2014

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।